ग्राम पंचायत रे, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कॉंगड़ा, हि॰ प्र॰ –176058 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत रे, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कॉंगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति उषा देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री अमीर चन्द	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री कुलदीप राज	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री राजेश कुमार छत्रालिया	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:–

ग्राम पंचायत रे के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही एंव बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.48
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	17.11
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.49
4	7.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	15.68
5	7.2	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	1.38
6	8.1	नियमानुसार व्यापक प्रचार/प्रसार के अनियमित व्यय	8.64
7	8.2	नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	9.63
8	9	संविदाकार को व्यक्तिगत विशेष लाभ प्रदान करने हेतु नियमों के विरूद्ध संदिग्ध व्यय करने बारे	2.71

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:–

ग्राम पंचायत रे के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03.06.2024 से 13.06.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्वः स्त्रोत व अनुदानों की हस्तगत रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास

चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	04 / 2022	11 / 2022
2023—24	12 / 2023	06 / 2023

अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/240 दिनांक 13.06.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि कॉंगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक बडूखर के मल्टीसिटी चैक संख्या 627484 दिनांक 27.06.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/227 दिनांकः—03.06.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम

पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया है:–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति(₹)	योग (कॉलम 2+3)(₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5)(₹)
1	2	3	4	5	6
2022-23	234910.00	1090831.00	1325741.00	908965.00	416776.00
2023-24	416776.00	1058893.00	1475669.00	1038041.00	437628.00

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति(₹)	योग (कॉलम 2+3)(₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5)(₹)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1913181.53	7598544.00	9511725.53	7266654.63	2245070.90
2023-24	2245070.90	3231600.00	5476670.90	3766011.00	1710659.90

कुल योग (1+2) 437628+1710659.90=**2148287.90**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से ₹21,48,287.90 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट–3**" के अनुसार अन्तशेष ₹21,96,402.90 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/3 वित्त/आर.जी.एस.ए	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	20028012915	483772
2	वी.के.वी.एन. वाई/एम.पी.लेड/एस.डी.पी	एच•जी•बैंक रे	87930100044604	170957.88
3	पी.एस	एच•जी•बैंक रे	87930100043872	18102.28
4	जेड.पी	एच•जी•बैंक रे	87930100044190	17733.74

5	14वाँ वित्तायोग	एच•जी•बैंक रे	87930100048682	0
6	15वाँ वित्तायोग / पी. एस / जेड.पी	एच•जी•बैंक रे	87930100051562	1503866
	हस्तगत शेष			1971
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः–				₹2196402.90
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–				₹2148287.90
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–				₹2196402.90
अन्तरः–				₹48115

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.48 लाख का अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत रे द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹48115/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 227(2) दिनांक 05.06.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPR/01/2024 दिनांकः–13.06.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके तथा भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के वाउचरों का अवलोकन करने पर इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं।

अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं/दिनांक	कार्य का नाम	राशि ₹
1.मनरेगा	55/09.11.2022	16/12.01.2021	निर्माण गउशाला जगरूप सिंह	32500
2.मनरेगा	57/09.11.2022	13/06.12.2021	निर्माण रास्ता व नालियां पुली हरीजन बस्ती रघुवीर के घर से दलवीर की जमीन तक	79600
3.मनरेगा	64/15.11.2022	18/12.01.2022	निर्माण एम्बुलेन्स रोड पंदरियाल पार्ट–2 वार्ड–3	119000
4.आर.जी.एस.ए	09/06.06.2023	मस्ट्रोल स. 22226	निमार्ण पंचायत सामुदायिक केन्द्र (पंचायत घर)अपवर्धन हेतु।	32098
5.15वां वित	01/07.06.2023	48/10.03.2023	निर्माण जीप रोड से मंजूरअली के घर तक वार्ड 6	87000

इस गम्भीर अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/239 दिनांकः 13.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPR/01/2024 दिनांकः–13.06.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार किया जा रहा है। प्रस्तुत उत्तर तथ्यों रहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं है।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ङ) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत रे द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानो जैसे कि तीसरा वित, आर.जी.एस.ए इत्यादि की सयुंक्त हस्तगत रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, तीसरा वित, आर.जी.एस.ए आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एंव निर्देशों के

विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20028012915 खोला गया तथा इस खाते में ही प्राप्त अनुदानों को जमा किया गया तथा इससे ही व्यय किया गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/239 दिनांकः 13.06.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या GPR/01/2024 दिनांक 13.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान की राशि ₹17.11 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/227 दिनांकः–03.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1710659.90/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	वी.के.वी.एन.वाई / एम.पी.लेड / एस.डी.आर.एफ	31.03.2024	170957.88
2	पी.एस	31.03.2024	18102.28
3	जेड.पी	31.03.2024	17733.74
4	15वाँ वित्तायोग	31.03.2024	1503866.00
		कुल जोड	**1710659.90**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस राशि के उपयोग / व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 233 दिनांक–10.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPR/01/2024 दिनांक–13.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अतः भविष्य में नियमो के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर राशि ₹1.49 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत (outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/227 दिनांकः–03.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में

₹1,48,700/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी, क्योंकि अवधि 2023–24 के दौरान पंचायत द्वारा कोई भी वसूली नही की गई थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का बिना उचित कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से पंचायत को वंचित होना पड़ा तथा पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी प्रकार बढ़ती रही तो एक समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो सकता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/234 दिनांकः–10.06.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPR/01/2024 दिनांक 13.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है तथा वसूली उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए ।

6.2 सम्पति कर/गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के सम्पति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए दिनांक 31.03.2024 को सम्पति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/234 दिनांकः–10.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPR/01/2024 दिनांक 13.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

6.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.03 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹ 200 (सामान्य) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. के लिये ₹ 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400(सामान्य) से व ₹ 50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना के अनुसार 13 विवाह पंजीकृत किये गये, जिस हेतु

₹200 / 400 की दर से न के बराबर राशि वसूली गई। जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹3000 वसूल किये जाने अपेक्षित थे।

उक्त कम वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 234 दिनांकः 10.06.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत रे के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्याः–1869,78,95,1907,09,1911 से 1919 द्वारा करने उपरान्त दिनांक 14.06.2024 को खाता संख्या 20028012915 में जमा करवा दिया गया है। जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.4 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका व संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ग्राम पंचायत रे द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क.संख्या	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1.	2022–23	3800
2	2023–24	2200
	जोड	**6000**

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/234 दिनांकः 10.06.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत रे के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्याः– GPR/01/2024 दिनांक 13.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹15.68 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत रे के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"7"** में दिए गए विवरणानुसार ₹15,67,839/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/235 दिनांक:–12.06.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– GPR/01/2024 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित एवं नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये इस को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹1.38 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"8"** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹1,38,466/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/236 दिनांकः–12.06.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPR/01/2024 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत, बजरी, बोल्डर से संबंधित एम फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा रॉयल्टी की राशि की वसूली भी नहीं की गई है। अंकेक्षणापतिनुसार उक्त रॉयल्टी की राशि की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से कर ली जायेगी। उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात् किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries,102-Mineral Concession Fees and Royalties,81-Other receipts" आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार उसकी भी

वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2023–24 में विभिन्न अनुदानो के अंतर्गत सामग्री खरीद व्यय में पाई अनियमितताएं:–

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 06/2023 में ग्राम पंचायत द्वारा विविध सामग्री खरीदने हेतु किये गए ₹864089 के व्यय का अवलोकन करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:–

1.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(5) ए के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹50000 से अधिक की खरीद पर न्यूनतम दो समाचार पत्रो द्वारा टेन्डर कॉल किये जाने अपेक्षित हैं।

चयनित मास 06/2023 के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा केवल एक समाचार पत्र द्वारा ही टेन्डर कॉल किया गया तथा सामग्री क्रय की गई, जोकि उपरोक्त नियम की पूर्णतः अवहेलना के कारण अनियमित तथा आपतिजनक है। इस कारण निम्नविवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा किया गया ₹864089 का व्यय अनियमित है।

2.उक्त टेन्डर द्वारा ग्राम पंचायत को केवल दो ही निविदाये प्राप्त हुई अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई, जबकि नियमानुसार न्यूनतम तीन निविदाओं का होना आवश्यक है:–

क्र.सं. व मद	वाउचर सं. /दिनांक	सामग्री	बिल स. / दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा	दर	किया गया. अनियमित भुगतान
1.NREGA	11/28.06.23	Sand	43/25.03.22	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	23m3	1600	36800
		Agg.			13m3	1500	19500
2.NREGA	12/28.06.2023	Mixture with F.	56/30.092022	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey Fatehpur	8Days	700	5600
		Water Tank			5 No	900	4500
		Cmt.			60 Bags	42	2520

		Carriag.					
3.NREGA	13/28.06.2023	Sand	76/23.05.23	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	5m3	1500	7500
		Agg.			9m3	1400	12600
4.NREGA	14/28.06.2023	Sand	78/23.05.23	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	16m3	1500	24000
		Agg.			29m3	1400	40600
5.NREGA	16/28.06.2023	Steel	80/25.03.23	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	600kg	90	54000
6.NREGA	18/28.06.2023	Steel	81/01.06.2023	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	500kg	90	45000
7.NREGA	19/28.06.2023	Cement Carriage	82/02.06.2023	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	105 Bags	42	4410
8.NREGA	20/28.06.2023	Agg.	49/28.05.23	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	30m3	1400	42000
		Shuttering			44m2	60	2640
9.NREGA	21/28.06.2023	Sand	41/25.05.23	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	17m3	1500	25500
		Solling			12m2	1400	16800
10.NREGA	22/28.06.2023	Mixture with F.	42/25.03.23	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	17 Days	800	13600
11.NREGA	24/28.06.2023	Sand	01/01.06.23	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	10m3	1600	16000
		Agg.			25m2	1500	37500
12.NREGA	25/28.06.2023	Solling	54/30.0523	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	30m3	1400	42000
		Shuttering			50m2	60	3000
13.NREGA	26/28.06.2023	Mixture with F.	84/02.06.2023	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey Fatehpur	25Days	600	15000
		Water Tank			20 No	900	18000
		Cmt. Carriag.			613 Bags	42	25746
14.NREGA	27/28.06.2023	Stone	13/03.11.22	M/s Kulbir S Dhimaan .D.Tatwali	80m3	750	60000
15.NREGA	28/28.06.2023	Mixture with F.	44/25.06.2023	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	35Days	800	28000
		Water Tank			18 No	1200	21600
		Shuttering			120m2	60	7200
16.NREGA	29/28.06.2023	Sand	45/27.05.23	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	7m3	1600	11200
		Solling			25m2	1400	35000
17.NREGA	30/28.06.2023	Agg.	46/27.05.2023	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	30m3	1500	45000
18.NREGA	31/28.06.2023	G.S.B	47/28.05.2023	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	25m3	1250	31250

19.NREGA	32/28.06.2023	Cement Carriage	48/27.05.2023	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	423.69 Bags	42	17795
20.NREGA	34/28.06.2023	Cement Carriage	85/02.06.2023	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	784Bags	42	32928
21.R.G.S.A	10/06.06.2023	Sand	40/20.05.2023	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	16m3	1500	24000
		Agg.			19m2	1400	26600
22.15TH FC	01/07.06.2023	Sand	48/10.03.2023	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	03m3	1500	4500
		Agg.			3m2	1400	4200
						कुल योग	**864089**

इन अनियमितताओ बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/237 दिनांकः–12.06.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPR/01/2024 दिनांकः– 13.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में उपरोक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही सामग्री क्रय की जायेगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को न्यायोचित ठहराते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 मनरेगा व आर.जी.एस.ए अनुदानो के अंतर्गत करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु व्यय राशि ₹9.63 लाख के सन्दर्भ में समर्थित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मासों 11/2022 व 06/2023 के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹963317/—का भुगतान विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय की पूर्ण अंकेक्षण जांच संभव नहीं हो सकी :—

क.स. व अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मस	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख
1.मनरेगा	58,59,60,61,43/09.11.22,28.06.23	11/2022,06/2023	निर्माण कार्य एम्बुलेन्स रोड कसियाल मोड से पंदरियाल पार्ट–1	274928	टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका
2.मनरेगा	64,65,66,67,28 से 32/15.11.22,28.06.2023	11/2022,06/2023	निर्माण कार्य एम्बुलेन्स रोड पंदरियाल पार्ट–2	439045	टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका
3.मनरेगा	24,25,26,27/28.06.2023	06/2023	निर्माण कार्य एम्बुलेन्स रोड रे रोड से पतन की ओर	217246	टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड पत्र व माप पुस्तिकां
4.आर. जी.एस.ए	09/06.06.2023	06/2023	निर्माण कार्य पंचायत सामुदायिक केन्द्र पंचायत घर अपवर्धन हेतु	32098	टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका
			कुल योग	**963317**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत रे से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/238

दिनांकः—13.06.2024 द्वारा आग्रह किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्याः— GPR/01/2024 दिनांक 13.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अभिलेख विकास खण्ड कार्यालय फतेहपुर में जमा है। अतः सचिव द्वारा अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका नियमानुसार तथ्यो सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 संविदाकार को व्यक्तिगत विशेष लाभ प्रदान करने के लिये ₹271600 का संदिग्ध व्यय करने बारेः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर की वास्तविक राशि से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान की वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

पंचायत द्वारा सोलिंग के लिये पत्थर खरीदने हेतु आमन्त्रित टैंडरों के उत्तर में प्राप्त मात्र दो निविदाओं में मै0 किरन बीर सरकारी ठेकेदार अगाहर द्वारा ₹1350/— तथा मै0 वरिन्द्र सिंह राणा घुमाली अगाहर द्वारा ₹1400/— प्रति घन मीटर की दर दी गई थी। स्पष्ट रूप से इसमें से ₹1350/— की दर ही न्यूनतम है। अंकेक्षण में वाउचरों का नमूना अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत वाउचर सं0 57, 58 व 64 द्वारा 194m3 सोलिंग पत्थर का क्रय किया गया आश्चर्यजनक रूप से मै0 किरन बीर से ₹1350/— के स्थान पर मै0 वरिन्द्र सिंह राणा ₹1400/— प्रति घन मीटर की दर से क्रय किया गया। इससे प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार यह ₹271600/— का संदिग्ध व्यय संविदाकार को

व्यक्तिगत विशेष लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। यदि इस पत्थर खरीद को उचित (Genuine) भी माना जाये तब भी ₹50/– प्रति घन मीटर की दर से अधिक भुगतान किये जाने के कारण इसमें निम्नविवरणानुसार ₹9700 का अनुचित व गलत व्यय की वसूली तो की जानी अपेक्षित ही है:–

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अनुचित भुगतान ₹
1.मनरेगा	57/09. 11.2022	मै. वरिन्द्र सिंह राणा घुमाली अगाहर	सोलिंग	32400 (24m3@1350)	33600 (24m3@1400)	1200
2.मनरेगा	58/09. 11.2022	मै. वरिन्द्र सिंह राणा घुमाली अगाहर	सोलिंग	114750 (85m3@1350)	119000 (85m3@1400)	4250
3.मनरेगा	64/15. 11.2022	मै. वरिन्द्र सिंह राणा घुमाली अगाहर	सोलिंग	114750 (85m3@1350)	119000 (85m3@1400)	4250
					जोड	**9700**

उक्त किये गए संदिग्ध व अनुचित व्यय का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/239 दिनांक:–13/06/2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या GPR/01/2024 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि संबंधित फर्म/संविदाकार से वसूली कर ली जायेगी तथा संबंधित खाते में जमा करवा दी जायेगी।

अतः उपरोक्त किये गये भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹1.58 लाख का अनियमित भुगतान करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 11/2022 व 06/2023 के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹1,57,623/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। नियमानुसार यह एक अनियमितता है।

इस प्रकरण . को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/239 दिनांक: 13.06.2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत रे के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्या:– GPR/01/2024 दिनांक 13.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

नोटः— उक्त व्यय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो के मनरेगा व्यय के अतिरिक्त अन्य अनुदानो के व्यय से संबंधित है।

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "8.1" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:—

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2.. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

3. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4. ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप—34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय—व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5 .निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/239 दिनांकः 13.06.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत रे को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPR/01/2024 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/227 दिनांकः 03.06.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्याः– GPR/01/2024 दिनांक 13.06.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी अधूरी एवं पारदर्शी लेखांकन प्रक्रिया के चलते किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) एवं दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	—	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	....
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/227 दिनांकः 03.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPR/01/2024 दिनांक 13.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

14.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत रे द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत रे के चयनित मास व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 **लघु आपति विवरणिका**:– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्ष**:– लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतम नियमों व अन्य दिशा–निर्देशो की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

31 AUG 2024
का0/शांति
4337 – 4341

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)419/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत रे, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

31 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/शांति

ANNEXURE -1(पैरा संख्या 5.1क)

FINANCIAL POSITION OF GP REY FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	234910.00	1090831	1325741.00	908965.00	416776.00
2023-24	416776.00	1058893.00	1475669.00	1038041.00	437628.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1913181.53	7598544.00	9511725.53	7266654.63	2245070.90
2023-24	2245070.90	3231600.00	5476670.90	3766011.00	1710659.90

Secretary
Gram Panchayat REY
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.)

29

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या – 5.1)

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP REY FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	TSC/SBM	2022-23	171675.00	103737.00	275412.00	275412.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GWM	2022-23	0.00	943860.00	943860.00	943860.00	0.00
		2023-24	0.00	499090.00	499090.00	499090.00	0.00
3	VKVNY/MPLAD/ SDP	2022-23	186870.60	530856.00	717726.60	600644.72	117081.88
		2023-24	117081.88	264649.00	381730.88	210773.00	170957.88
4	PS	2022-23	17130.28	482.00	17612.28	0.00	17612.28
		2023-24	17612.28	490.00	18102.28	0.00	18102.28
5	ZP	2022-23	40037.46	591.00	40628.46	23375.72	17252.74
		2023-24	17252.74	481.00	17733.74	0.00	17733.74
6	14TH	2022-23	35063.19	311.00	35374.19	35374.19	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1462405.00	1762422.00	3224827.00	1131703.00	2093124.00
		2023-24	2093124.00	527056.00	2620180.00	1116314.00	1503866.00
8	MNREGA	2022-23	0.00	4256285.00	4256285.00	4256285.00	0.00
		2023-24	0.00	1939834.00	1939834.00	1939834.00	0.00

1

Secretary
Gram Panchayat REY

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या– "4.1" (ख) के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत रे विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176058

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत रे के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक को शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित / आर.जी.एस.ए	का•के•सह•बैंक बडूखर	20028012915	234910	483772
2	वी.के.वी.एन.वाई / एम.पी.लेड / एस.डी.पी	एच•जी•बैंक रे	87930100044604	186870.60	170957.88
3	पी.एस	एच•जी•बैंक रे	87930100043872	17130.28	18102.28
4	जेड.पी	एच•जी•बैंक रे	87930100044190	40037.46	17733.74
5	14वाँ वित्तायोग	एच•जी•बैंक रे	87930100048682	35063.19	0
6	15वाँ वित्तायोग / पी.एस / जेड.पी	एच•जी•बैंक रे	87930100051562	1462405	1503866
	हस्तगत शेष			2550	1971
			कुल जोड.	**1978966.53**	**2196402.90**

Dev Block ...

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या "6.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत रे विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176058

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 847 तथा 2023–24 में 908 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022-23	64950	847	50	42350	107300	4000	103300
2023-24	103300	908	50	45400	148700	0	148700
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹148700**/– है।						

परिशिष्ट -5 (पैरा संख्या - 6.3)

कार्यालय ग्राम पंचायत रे, विकास खण्ड फतेहपुर, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176058

[illegible]ांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष विवाह शुल्क

क्र० सं०	नाम	विवाह शुल्क रजि0पू0स0	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	दीपक कुमार	निल	29.09.2022	12.10.2022	200	0	200
2	इन्द्रजीत	निल	26.02.2023	निल	400	0	400
3	साहिल कुमार	निल	22.02.2023	01.03.2023	200	0	200
4	शुभम पठानिया	निल	05.06.2023	22.06.2023	200	0	200
5	अमनदीप अली	निल	26.06.2023	10.07.2023	200	0	200
6	नवीन शर्मा	निल	06.11.2023	20.11.2023	200	0	200
7	करण कुमार	निल	09.11.2023	24.11.2023	200	0	200
8	कर्णवीर	निल	14.11.2023	24.11.2023	200	0	200
9	मंगलेश्वर	निल	20.10.2023	29.11.2023	400	200	200
10	गणेश कुमार	निल	07.11.2023	14.12.2023	400	0	400
11	कादर खान	निल	09.11.2023	18.12.2023	400	200	200
12	राकेश कुमार	निल	15.12.2023	22.12.2023	200	0	200
13	विकात भूषण	निल	04.02.2024	15.02.2024	200	0	200
				कुल	₹ 3,400.00	₹ 400.00	₹ 3,000.00

परिशिष्ट-6 (प्रश्न संख्या [illegible])

कार्यालय ग्राम पंचायत रे

विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

दिनांक..............................

अध्यक्षता..............................

प्र. सं. ....

विषय :- प्रमाणित किया जाता है कि अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक Rs. 6000/- रुपये विवाह पंजीकरण फीस वसूली की

I वर्ष 2022-2023 — 3800/-

II वर्ष 2023-2024 — 2200/-

कुल — 6000/-

परिशिष्ट - 7 (पैरा संख्या - 7.1)

ग्राम पंचायत रे विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना।								
अनुदान	वौ.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.NREGA	54/09.11.2022	Sand Agg.	16/12.01.22	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	4m3 4.5m3	1600 1500	6400 6750	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
2..MNREGA	55/09.1122	Sand Agg.	16/12.01.22	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	10m3 11m3	1600 1500	16000 16500	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
3..MNREGA	56/09.1122	Sand Agg.	14/12.01.22	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	10m3 11m3	1600 1500	16000 16500	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
4.MNREGA	57/09.1122	Sand Agg. Solling	13/06.12.21	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	10m3 20m3 24m3	1600 1500 1400	16000 30000 33600	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
5.NREGA	58/09.11.22	Solling	17/17.01.2022	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	85m3	1400	119000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
6.NREGA	59/09.1122	Sand Agg.	24,23,22/05.03.22	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	30m3 50m3	1600 1500	48000 75000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
7.NREGA	62/09.1122	Sand Agg.	28/05.09.22	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	20m3 20m3	1600 1500	32000 30000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
8.NREGA	64/15.11.22	Solling	18/12.01.2022	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	85m3	1400	119000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
9.NREGA	65/15.11.22	Sand	19/05.03.2022	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	30m3	1600	48000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
10.NREGA	66,67/15.11.22	Bazri	21,20/05.03.2022	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	50m3	1500	75000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
11.NREGA	11/28.0623	Sand Agg.	43/25.03.22	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	23m3 13m3	1600 1500	36800 19500	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
12.NREGA	12/28.06.2023	Mixture with Water Tank Cmt.	56/30.092022	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey Fatehpur	8Days 5 No 60 Bags	700 900 42	5600 4500 2520	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
13.NREGA	13/28.06.2023	Sand Agg.	76/23.05.23	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	5m3 9m3	1500 1400	7500 12600	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
14.NREGA	14/28.06.2023	Sand Agg.	78/23.05.23	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	16m3 29m3	1500 1400	24000 40600	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
15.NREGA	16/28.06.2023	Steel	80/25.03.23	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	600kg	90	54000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
16.NREGA	18/28.06.2023	Steel	81/01.06.2023	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	500kg	90	45000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
17.NREGA	19/28.06.2023	Cement Carriage	82/02.06.2023	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	105 Bags	42	4410	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
18.NREGA	20/28.06.2023	Agg. Shuttering	49/28.05.23	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	30m3 44m2	1400 60	42000 2640	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
19.NREGA	21/28.06.2023	Sand Solling	41/25.05.23	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	17m3 12m2	1500 1400	25500 16800	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
20.NREGA	22/28.06.2023	Mixture with E	42/25.03.23	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	17 Days	800	13600	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
21.NREGA	24/28.06.2023	Sand Agg.	01/01.06.23	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	10m3 25m2	1600 1500	16000 37500	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
22.NREGA	25/28.06.2023	Solling Shuttering	54/30.0523	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	30m3 50m2	1400 60	42000 3000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
23.NREGA	26/28.06.2023	Mixture with Water Tank Cmt.	84/02.06.2023	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey Fatehpur	25Days 20 No 613 Bags	600 900 42	15000 18000 25746	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
24.NREGA	27/28.06.2023	Stone	13/03.11.22	M/s Kulbir S Dhimaan .D.Tatwali	80m3	750	60000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
25.NREGA	28/28.06.2023	Mixture with Water Tank Shuttering	44/25.06.2023	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	35Days 18 No 120m2	800 1200 60	28000 21600 7200	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
26.NREGA	29/28.06.2023	Sand Solling	45/27.05.23	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	7m3 25m2	1600 1400	11200 35000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
27.NREGA	30/28.06.2023	Agg.	46/27.05.2023	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	30m3	1500	45000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
28.NREGA	31/28.06.2023	G.S.B	47/28.05.2023	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	25m3	1250	31250	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
29.NREGA	32/28.06.2023	Cement Carriage	48/27.05.2023	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	423.69 Bags	42	17795	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
30.NREGA	34/28.06.2023	Cement Carriage	85/02.06.2023	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	784Bags	42	32928	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
31.R.G.S.A	10/06.06.2023	Sand Agg.	40/20.05.2023	M/S Varinder.S Rana Ghumali Agahar	16m3 19m2	1500 1400	24000 26600	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
32.15TH FC	01/07.06.2023	Sand Agg.	48/10.03.2023	M/s Yaswant.S Govt.Contractor Rey	03m3 043m2	1500 1400	4500 4200	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
							1567839	

35

परिशिष्ट – 8 (पैरा संख्या – "7.2")

ग्राम पंचायत रे खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
MNREGA,RGSA,15TH FC								
M/s Varinder.S Rana Ghumali Agahar	54/09.11.22	16/12.01.21	Sand	4.000	1.62	6.480	80	518.40
			Bajri	4.500	1.52	6.840	80	547.20
do	55/09.11.22	16/12.01.21	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	11.000	1.52	16.720	80	1337.60
do	56/09.11.22	14/12.01.21	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	11.000	1.52	16.720	80	1337.60
do	57/09.11.22	13/12.01.21	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
			Solling	24.000	2.24	53.760	80	4300.80
do	59-61/09.11.22	24,23,22/05.03.22	Sand	30.000	1.62	48.600	80	3888.00
			Bajri	50.000	1.52	76.000	80	6080.00
do	62/09.11.22	28/05.09.22	Sand	20.000	1.62	32.400	80	2592.00
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
do	64/15.11.22	18/12.01.22	Solling	85.000	2.24	190.400	80	15232.00
do	65-67/15.11.22	19,21,20/05.03.22	Sand	30.000	1.62	48.600	80	3888.00
			Bajri	50.000	1.52	76.000	80	6080.00
do	11/28.06.23	43/25.03.23	Sand	23.000	1.62	37.260	80	2980.80
			Bajri	13.000	1.52	19.760	80	1580.80
do	20/28.06.23	49/28.05.23	Bajri	30.000	1.52	45.600	80	3648.00
do	21/28.06.23	41/25.03.23	Sand	17.000	1.62	27.540	80	2203.20
			Bajri	12.000	1.52	18.240	80	1459.20
do	24/28.06.23	51/30.05.23	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	15.000	1.52	22.800	80	1824.00
do	25/28.06.23	54/30.05.23	Solling	30.000	2.24	67.200	80	5376.00
do	29/28.06.23	45/27.05.23	Sand	7.000	1.62	11.340	80	907.20
			Solling	25.000	2.24	56.000	80	4480.00
do	30/28.06.23	46/27.05.23	Bajri	30.000	1.52	45.600	80	3648.00
do	10/06.06.23	40/20.05.23	Sand	16.000	1.62	25.920	80	2073.60
			Bajri	19.000	1.52	28.880	80	2310.40
							Total	**88340.80**
							25% Penalty	**22085.20**
							(1)G.Total	**110426.00**
Yashwant.S G.Contractor Rev	13/28.06.23	76/23.05.23	Sand	5.000	1.62	8.100	80	648.00
			Bajri	9.000	1.52	13.680	80	1094.40
do	14/28.06.23	78/23.05.23	Sand	16.000	1.62	25.920	80	2073.60
			Bajri	29.000	1.52	44.080	80	3526.40
do	01/07.06.23	48/10.03.23	Sand	3.000	1.62	4.860	80	388.80
			Bajri	3.000	1.52	4.560	80	364.80
							Total	**8096.00**
							25% Penalty	**2024.00**
							(2)G.Total	**10120.00**
M/s Kulibir.S D. Dhoulpur Tatwali	27/28.06.23	13/03.11.22	Stone	80.000	2.24	179.200	80	14336.00
							Total	14336.00
							25% Penalty	3584.00
							(3)G.Total	17920.00
							(1+2+3) G.Total	**138466.00**